

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

ई-नीलामी की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में स्थित कैंटीन क्षेत्रफल 78.00 वर्ग मीटर का धरोहर धनराशि रू0-2,00,000.00 एवं न्यूनतम आरक्षित मासिक किराया रू0-1,01,500.00 प्रतिमाह में मासिक किराये पर वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 31.03.2027) तक के लिए किराये पर ई-नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर आवंटन हेतु दिनांक 17 / 04 / 2026 से दिनांक 01 / 05 / 2026 तक आनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। उक्त अवधि में आनलाइन पंजीकृत आवेदकों के मध्य ई-नीलामी दिनांक 05 / 05 / 2026 को सम्पन्न होगी। ई-नीलामी से सम्बन्धित नियम, शर्त व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in पर उपलब्ध है। सभी बोलीदाता नियमित रूप से वेबसाइट पर ई-नीलामी देखते रहे, अलग से किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की जानकारी अन्य माध्यम से नहीं दी जायेगी। आवेदन पत्र आनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा।



(पुष्प राज सिंह)
पी0सी0एस0
सचिव ।




(आनन्द वर्द्धन)
आईए0एस0
उपाध्यक्ष ।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर कार्यालय परिसर में स्थित कैन्टीन को ई-नीलामी के माध्यम से किराये पर आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं :-

- 1- प्राधिकरण कार्यालय में स्थित कैन्टीन का क्षेत्रफल 78.00 वर्ग मीटर है, का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 31.03.2027) तक के लिए किराये पर किया जायेगा ।
- 2- ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन शुल्क रू0-1000.00 (जी0एस0टी0 सहित) तथा जमानत धनराशि रू0-2,00,000.00 प्राधिकरण निधि में आनलाइन जमा करना होगा ।
- 3- कैन्टीन का न्यूनतम आरक्षित किराया प्रतिमाह रू0-1,01,500.00 है ।
- 4- परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई-नीलामी में भाग ले सकेगा ।
- 5- ई-नीलामी की बोली में प्रतिस्पर्धात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा ।
- 6- कैन्टीन का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा ।
- 7- ई-नीलामी में उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित मासिक किराया जी0एस0टी0 सहित प्राधिकरण निधि में आटोडेबिट के माध्यम से जमा करना होगा ।
- 8- कैन्टीन का किराया विलम्ब से जमा करने पर 15 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा ।
- 9- निरन्तर 04 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर कैन्टीन का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।
- 10- कैन्टीन के 04 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- 11- कैन्टीन के 04 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा करके इकरारनामा निष्पादित कराने के पश्चात् ही कब्जा दिया जायेगा ।
- 12- ई-नीलामी में असफल बोलीदाता को उनपके द्वारा जमा जमानत धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू0-1000.00 मात्र की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- 13- कैन्टीन में खाद्य पदार्थ (लेन्च-डिनर को छोड़कर चाय, समोसा-मटर, पकौड़ी, नमकीन, चाईनीज व साउथ इण्डियन) से सम्बन्धित व्यापार अनुमन्य होगा तथा किसी भी प्रकार के नशे आदि/फोटो स्टेट मशीन रखना अनुमन्य नहीं होगा । निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कैन्टीन का अन्य कोई उपयोग किये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी किरायेदार की होगी ।
- 14- कैन्टीन में किसी प्रकार का परिवर्तन आदि किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा तथा कैन्टीन का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा । ऐसा करने पर आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए कैन्टीन का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।
- 15- प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को रियायती दर पर खाद्य पदार्थ को बिक्रय किया जाना होगा ।
- 16- किसी भी शासकीय कर/जी0एस0टी0 आदि के भुगतान का दायित्व किरायेदार का होगा ।
- 17- कैन्टीन में विद्युत/पानी कनेक्शन लेने तथा कैन्टीन व उसके आस-पास साफ-सफाई रखने का दायित्व आवंटी किरायेदार का होगा ।
- 18- ई-नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा । बिना कारण बताये कभी भी ई-नीलामी/किरायेदारी को निरस्त किया जा सकता है ।


राममणि
लिपिक


सहायक सम्पत्ति अधिकारी
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर